भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3637

जिसका उत्तर 17 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

26 फाल्गुन, 1942 (शक)

आधार कार्ड जारी करने वाले केंद्रों के लाइसेंस का निरस्तीकरण

3637. श्री सी.पी. जोशी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार/आधार कार्ड जारी/अद्यतन/संशोधित करने वाले कितने केंद्रों का लाइसेंस निरस्त किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त केंद्रों के बंद होने के पश्चात् इन क्षेत्रों में आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का किस प्रकार निरस्तीकरण किया जा रहा है; और

(ग) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में इस प्रकार बंद किए गए केंद्रों का ब्यौरा और संख्या कितनी है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ग): *माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 की रिट याचिका (ग) सं. 247 और पैन-आधार से जुड़े दिनांक 09/06/2017 के अन्य मामले का निपटान करने के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि ''.... यह महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त आशंकाओं का समुचित उपाय करने के द्वारा निवारण किया जाए ताकि व्यापक रूप से जनता में आत्मविश्वास पैदा हो सके कि डेटा के अनधिकृत लीकेज की कोई संभावना नहीं है, इसमें चाहे निजी व्यक्तियों के होने के नाते, नामांकन का कार्य दिए जाने वाले ठेकेदारों की प्रचालन व्यवस्था को सख्त कर दिया जाए अथवा या ब्यौरा लीक करने के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ गंभीर दंड अधिरोपित किए जाएं, यह सरकार का दृष्टिकोण है। हालांकि, हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस संबंध में उपाय किए जाना नितांत आवश्यक हैं और यह उन चीजों की उपयुक्तता पर होगा कि इस संबंध में उचित योजना जल्द से जल्द तैयार की जाए ..."*

बायोमेट्रिक्स और व्यक्तिगत डेटा के संबंध में उपरोक्त सुरक्षा चिंताओं के कारण नामांकन प्रचालन व्यवस्था को सख्त करना आवश्यक हो गया था।

उस समय तक, प्रौढ़ जनसंख्या में आधार परिपूर्णता की दर 90% (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक पहुंच गई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा देशभर में एक सुरक्षित परिवेश में आधार नामांकन सुविधा का सतत् मॉडल सृजित करना अपेक्षित था, ताकि डेटा संग्रहण करने के दौरान प्रक्रियाओं से कोई छेड़छाड़ न हो अथवा उनका दुरुपयोग न हो सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने दिनांक 28 जून, 2017 के अर्धशासकीय पत्र के जरिए आधार नामांकन केंद्रों को निजी एवं असुरक्षित क्षेत्रों से सुरक्षित सरकारी परिसरों, जहां पर सरकारी तंत्र की सीधी निगरानी सुनिश्चित की जा सके, में स्थानांतरित करने के अपने निर्णय से राज्य सरकारों के प्रमुख सचिवों को अवगत करा दिया था।

इसके अलावा, आधार नामांकन एवं अद्यतन के संबंध में, डाक घरों में लगभग 13,000 केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14-07-2017 की अधिसूचना सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई के तहत, अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शाखाओं की 10 प्रतिशत शाखा को आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र के रूप में खोलने के निर्देश भी दिए गए थे।

दिसंबर, 2017 के अंत तक आधार के नामांकन एवं अद्यतन के लिए निजी नामांकन एजेंसियों (ईए) को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया था। तत्पश्चात सभी रजिस्ट्रारों ने निजी नामांकन एजेंसियों को प्रतिस्थापित करते हुए नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य शुरू कर दिया।

आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाओं में विस्तार करने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार नामांकन एवं अद्यतन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के विभाग (यथा महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग आदि), नवोदय विद्यालय (एनवीएस), बीएसएनएल, सीएससी, यूटीआईआईटीएसएल आदि को भी इसमें शामिल कर लिया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने सेवा प्रदाताओं के जरिए देशभर के 105 शहरों में 165 आधार सेवा केंद्र खोलने एवं उनका संचालन करने की प्रक्रिया में है।

28 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, पूरे भारत में लगभग 56000 काऊंटर प्रचालन में हैं।

अद्यतन आवश्यकता पर विचार करने और घर से ही अद्यतन कार्य को आसान बनाने के लिए, निवासी जिनके मोबाइल नंबर आधार से लिंक हैं, वे ऑनलाइन स्व सेवा अपडेट पोर्टल (एसएसयूपी) के जरिए अपने जनसांख्यिकीय ब्यौरे (नाम, लिंग, जन्म-तिथि, पता) को अपडेट कर सकते हैं।

मोबाइल अपडेट के लिए संवर्धित मांग की संभावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पोस्टमैन/डाक सेवकों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल अद्यतन सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) व्यवस्था शुरू की है।

यह पुन: अवगत कराया जाता है कि किसी स्थान विशेष पर केंद्र को खोलना या बंद करना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों अर्थात् राज्य सरकार के विभाग, डाक विभाग, अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, एनवीएस, बीएसएनएल, सीएससी, यूटीआईआईटीएसएल आदि द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

ऐसे केंद्रों की सूची यूआईडीएआई के वेबसाइट लिंक https://appointments.uidai.gov.in/ easearch.aspx पर आम लोगों के लिए उपलब्ध है।

वर्तमान में, राजस्थान के चितौड़गढ़ जिले में 94 आधार केंद्र क्रियाशील हैं।

***